सीतामढ़ी जिलान्तर्गत एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत रामदौन हाई स्कूल, मोरसंड में 50 शैय्या वाले बालक छात्रावास का निर्माण (असैनिक एवं विद्युत) कार्य को स्थगित करने एवं अग्रधन की राशि वापस करने के लिए दिनांक: 09.04.2018 को आहूत तकनीकी मूल्यांकन समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही:-

---

उपस्थिति:

1. **श्री राम सागर प्रसाद,** मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। — अध्यक्ष
2. **श्री तपेश्वर प्रसाद साह,** महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। — सदस्य
3. **श्री रंजित प्रसाद सिंह,** महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। — सदस्य
4. **श्री रविकांत,** उप महाप्रबंधक, पी0 आई0 यू0, मुजफ्फरपुर। — सदस्य

कार्यवाही:-

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत रामदौन हाई स्कूल, मोरसंड में 50 शैय्या वाले बालक छात्रावास का निर्माण कार्य हेतु ई0-टेन्डर के माध्यम से ई0-निविदा प्राप्त की गयी थी, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में हुआ था, जिसका पी0आर0 सं0-15672 नि0नि0 2015-16 है।

उक्त ई0-निविदा में तीन निविदादाताओं मे0 कमलपुरा कंस्ट्रक्शन कं0 प्रा0 लि0, किशोरनगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, मे0 कुंदन कुमार, भिखनपुरा, मुजफ्फरपुर एवं मे0 राजा इन्टरप्राइजेज एण्ड कं0, बभनगामा, बेगूसराय द्वारा भाग लिया गया था। दिनांक: 30.04.2016 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में तीनों निविदादाताओं को सफल घोषित करते हुए वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया गया था। उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, मुजफ्फरपुर द्वारा उक्त निविदा का वित्तीय बीड खोलकर निगम मुख्यालय में आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया। वित्तीय बीड में न्यूनतम् सफल निविदादाता मे0 कमलपुरा कंस्ट्रक्शन कं0 प्रा0 लि0, किशोरनगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर के पक्ष में मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक-1308, दिनांक: 30.05.2016 द्वारा कुल ₹1,41,72,275.00 (एक करोड़ एकतालिस लाख बहत्तर हजार दो सौ पचहत्तर रुपये) मात्र पर कार्यबिंटन आदेश निर्गत किया गया था।

पुनः सीतामढ़ी जिलान्तर्गत एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत रामदौन हाई स्कूल, मोरसंड में निर्माणाधीन 50 शैय्या वाले बालक छात्रावास में विद्युत कार्य हेतु ई0-टेन्डर के माध्यम से ई0-निविदा प्राप्त की गयी थी, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में हुआ था, जिसका पी0आर0 सं0-9736 नि0नि0 2016-17 है।

उक्त ई0-निविदा में दो निविदादाताओं मे0 कमलपुरा कंस्ट्रक्शन कं0 प्रा0 लि0, किशोरनगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर एवं श्री दिलीप कुमार, बथनाहा, मुज0 द्वारा भाग लिया गया था। दिनांक: 17.12. 2016 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में दोनों निविदादाताओं को सफल घोषित करते हुए वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया गया था। उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, मुजफ्फरपुर द्वारा उक्त निविदा का वित्तीय बीड खोलकर निगम मुख्यालय में आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया। वित्तीय बीड में न्यूनतम् सफल निविदादाता मे0 कमलपुरा कंस्ट्रक्शन कं0 प्रा0 लि0, किशोरनगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर के पक्ष में मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक-80 (अनु0),

दिनांक: 12.01.2017 द्वारा कुल ₹11,85,008.00 (ग्यारह लाख पचासी हजार आठ रुपये) मात्र पर कार्यबंटन आदेश निर्गत किया गया था।

जमीन की अनुपलब्धता के कारण संवेदक द्वारा अवतक एकरारनामा नहीं किया गया। उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, मुजफ्फरपुर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के द्वारा विभिन्न पत्राचार के माध्यम् से प्रशासी विभाग एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से जमीन की उपलब्धता हेतु आग्रह भी किया गया। जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक-240, दिनांक: 18.05.2015 के द्वारा प्रशासी विभाग से भूमि अनुपलब्धता के कारण उक्त छात्रावास निर्माण योजना को स्थगित करने का आग्रह किया है। इसी पत्र के क्रम में कार्य के संवेदक मे0 कमलपुरा कंस्ट्रक्शन कं0 प्रा0 लि0, किशोरनगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक-0, दिनांक: 07.08.2017 के द्वारा उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, मुजफ्फरपुर से भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्यारंभ नही होने की स्थिति में अग्रधन की राशि वापस करने का आग्रह किया है, जिसके आलोक में उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, मुज0, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 ने अपने पत्रांक-61, दिनांक: 16.01.2018 द्वारा महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ कराना संभव नहीं हैं, की बात का उल्लेख किया गया है, साथ ही दोनों कार्यो के संवेदक का अग्रधन की राशि वापस देने हेतु निदेश की माँग की गई है।

अतः उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में भूमि की अनुपलब्धता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा प्रशासी विभाग से उक्त योजना को स्थगित करने के आग्रह को देखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त निर्माण कार्य के योजना को स्थगित करने एवं दोनों कार्यो के संवेदक (असैनिक एवं विद्युत) का जमा अग्रधन की राशि को वापस करने का निर्णय लिया गया।

9/4/2018	9.4.18		
(रविकांत)	(रंजित प्र0 सिंह)	(तपेश्वर प्र0 साह)	(राम सागर प्रसाद)
उप महाप्रबंधक,	महाप्रबंधक (उत्तर),	महाप्रबंधक (वित्त),	मुख्य महाप्रबंधक
पी0आई0यू0, मुज0	बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।	बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।	बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।